दिनांक 27.07.2018 को राज्य परिवहन आयुक्त–सह–सदस्य सचिव, कार्यपालक समिति, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् की अध्यक्षता में सम्पन्न "लीड एजेन्सी" की बैठक की कार्यवाही।

दिनांक 27.07.2018 को राज्य परिवहन आयुक्त–सह–सदस्य सचिव, कार्यपालक समिति की अध्यक्षता में बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् अधीन गठित **"लीड एजेन्सी"** की प्रथम बैठक विश्वेश्वरैया भवन स्थित उनके कार्यालय कक्ष में सम्पन्न हुई।

उपस्थितिः

उपस्थित–––

(i) धनंजय कुमार बम्पट, अधीक्षण अभियंता (याँ0), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(ii) नवल किशोर सिंह, पुलिस अधीक्षक (डी0), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना।

(iii) श्री सुनील कुमार, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

(iv) मनोनित पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना।

(v) मनोनित पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना।

(vi) मनोनित पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

(vii) मनोनित पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

अनुपस्थित––––

(i) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार, पटना।

बैठक की कार्यवाही **"लीड एजेन्सी"** के उपस्थित सदस्यों के परिचय के साथ प्रारंभ हुई और वैसे सदस्य जो बैठक में उपस्थित नहीं थे उनसे स्पष्टीकरण पुछने का निदेश दिया गया। इसके पश्चात् लीड एजेन्सी के उपस्थित सदस्यों को नव गठित बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् के संगठनात्मक स्वरूप का परिचय देते हुए लीड एजेन्सी एवं समन्वय समिति के कार्यो पर संक्षिप्त प्रकाश डाला गया।

इस बैठक में निम्न निर्णय लिए गएः–

1. लीड एजेन्सी जो परिषद् के सचिवालय के रूप में कार्य करेगी, इसके कार्यालय हेतु विश्वेश्वरैया भवन, इन्दिरा भवन, पन्त भवन तथा अन्य जगहों को चिन्हित करने का निदेश दिया गया ताकि उसके अधिग्रहण हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके।

(अनुपालन–सड़क सुरक्षा कोषांग)

2. लीड एजेन्सी हेतु स्वीकृत पदों के अनुरूप कार्यालय को सुसज्जित करने हेतु आधारभूत संरचनाएँ तैयार करने, आवश्यक सामग्रियों के क्रय अथवा किराये पर लेने का निर्णय लिया गया। लीड एजेन्सी के कार्यालय स्थान एवं कर्मियों के चयन के उपरान्त आवश्यक उपस्करों यथा, टेबुल, कुर्सी, कम्प्यूटर, ए0 सी0 आदि एवं अन्य आवश्यकताओं को आकलित कर इसका अनुपालन किया जायगा।

(अनुपालन–सड़क सुरक्षा कोषांग)

3. सभी जिला सड़क सुरक्षा समिति हेतु एक कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवा प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। इसका कार्य सड़क सुरक्षा समिति के समस्त कार्यों के अलावे सड़क दुर्घटना डाटाओं का संकलन, जिले में होने वाले चालक चालन जाँच की वेब कैम के माध्यम से रिकॉर्डिंग करना एवं डाटा को तीन वर्ष तक सुरक्षित रखना होगा। इनको कम्प्यूटर एवं फर्निचर उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक जिला सड़क सुरक्षा समिति को एक लाख पैतीस हजार (1,35,000) रूपया आवंटित किये जाएगें। कम्प्यूटर, वेब कैम एवं हार्ड डिस्क इत्यादि के Specification उपलब्ध कराने एवं चालक चालन जाँच की वेब कैमरा से Live Streaming एवं वीडियो रिकॉर्डिंग हेतु आवश्यक प्रक्रिया निर्धारित करने की जिम्मेदारी IT Manager एवं PWC को दी गई है।

(अनुपालन–सड़क सुरक्षा कोषांग / IT Manager / PWC)

4. सड़क दुर्घटनाओं के डाटा संकलन एवं ऑन लाईन प्रेषण हेतु रोड एक्सीडेंट डाटा मैनेजमेन्ट सिस्टम तैयार करने का निर्णय लिया गया ताकि MoRTH द्वारा संसूचित प्रपत्रों में सड़क दुर्घटनाओं के डाटा का संकलन किया जा सके।

(अनुपालन– अपराध अनुसंधान विभाग / ई–ट्रॉन्सपोर्ट एजेन्सी)

5. सभी पणधारी विभाग बिहार सड़क सुरक्षा नियमावली, 2018 के आलोक में समन्वय समिति का गठन कर इसकी सूचना लीड एजेन्सी को शीघ्र उपलब्ध करायेंगे एतद संबंधी निर्णय लिया गया।

(अनुपालन– गृह विभाग, परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, अपराध अनुसंधान विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग)

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा पर गठित कमेटी की अनुशंसाओं के आलोक में सड़क दुर्घटनाओं में एकल घायल / मृतक के आश्रितों को भी उचित

मुआवजा का प्रावधान कर भुगतान करने हेतु आपदा प्रबंधन विभाग से अनुरोध करने का निर्णय लिया गया।

(अनुपालन– आपदा प्रबंधन विभाग/लीड एजेन्सी)

7. अपराध अनुसंधान विभाग से प्राप्त दुर्घटनाओं के आँकड़ों के विश्लेषण से यह पाया गया है कि वर्ष, 2016 की तुलना में वर्ष, 2017 में दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या में 13% की बढ़ोतरी हुई है एवं घायलों की संख्या में 7% की बढ़ोतरी पाई गई है।

इसी तरह माह जनवरी से जून, 2017 एवं माह जनवरी से जून, 2018 के आँकड़ों के विश्लेषण से पाया गया है कि वर्ष, 2017 की तुलना में वर्ष, 2018 में सड़क दुर्घटनाओं में 1%, मृतकों की संख्या में 15.5% एवं घायलों की संख्या में 7.3% की वृद्धि हुई है जो अत्यन्त चिन्ता का विषय है।

सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाने के उद्धेश्य से यह निर्णय लिया गया कि दुर्घटनाओं की संख्या में 5% एवं मृतकों की संख्या में 10% कमी लाने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाये जाएँ। इसके लिए वर्ष, 2018 के लिए लक्ष्य का निर्धारण किया गया जो निम्न प्रकार है:–

2017 (जनवरी–दिसम्बर)	
दुर्घटना की संख्या	मृतकों की संख्या
8855	5429

वर्ष, 2018 के लिए निर्धारित संख्या	
दुर्घटना की संख्या	मृतकों की संख्या
8412	4886

यह निर्णय लिया गया कि सभी जिला पदाधिकारी, वरीय/पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया जाय कि सड़क दुर्घटनाओं एवं मृतकों की संख्या वर्ष, 2018 के लिए निर्धारित संख्या से अधिक नहीं हो इसके लिए सभी आवश्यक उपाय किये जाएँ। वर्ष, 2018 के लिए निर्धारित अधिकतम संख्या निम्न प्रकार है:––––

वर्ष, 2017 का आँकड़ा				**वर्ष, 2018 के लिए निर्धारित संख्या जिस स्तर पर मृत्यु एवं दुर्घटना को सीमित करना है।**		**वर्ष, 2018 में 30 जून तक के आँकड़ें।**	
क्रम सं0	**जिला का नाम**	**दुर्घटना की सं0**	**मृतकों की सं0**	दुर्घटना	मृत्यु	दुर्घटना	मृत्यु
1	पटना	996	510	946	459	506	323
2	नालन्दा	437	212	415	191	233	147
3	भोजपुर	206	149	196	134	137	102

4	बक्सर	166	91	158	82	94	50
5	रोहतास	292	187	277	168	166	117
6	भभुआ	172	102	163	92	96	56
7	गया	443	310	421	279	213	157
8	नवादा	248	162	236	146	140	88
9	औरंगाबाद	290	232	275	209	138	111
10	जहानाबाद	101	76	96	68	62	38
11	अरवल	81	51	76	46	30	21
12	सारण	307	211	292	190	203	191
13	सिवान	233	156	221	140	113	76
14	गोपालगंज	157	115	149	103	87	66
15	मोतीहारी	261	165	247	148	164	110
16	बगहा एवं बेतिया	189	138	180	124	107	71
17	मुजफ्फरपुर	555	292	537	263	310	255
18	वैशाली	270	209	256	188	180	142
19	सीतामढ़ी	201	129	190	116	103	74
20	शिवहर	26	12	25	11	19	9
21	दरभंगा	255	125	242	112	140	87
22	समस्तीपुर	307	186	292	167	169	145
23	मधुबनी	222	142	211	128	118	85
24	सहरसा	116	67	110	60	56	38
25	मधेपुरा	95	61	90	55	62	40
26	सुपौल	130	99	123	89	77	68
27	पुर्णिया	251	165	238	148	135	94
28	कटिहार	211	135	200	121	76	50
29	अररिया	141	106	134	95	102	82
30	किशनगंज	89	66	84	60	66	38
31	भागलपुर	332	189	315	170	228	148
32	बाँका	187	98	178	88	127	74
33	मुंगेर	96	40	91	36	56	34
34	शेखपुरा	70	39	66	35	37	24
35	लखीसराय	99	82	94	74	67	51
36	जमूई	152	112	144	101	75	72

37	खगड़िया	157	102	149	93	74	58
38	बेगुसराय	308	196	293	176	163	123

(अनुपालन– सड़क सुरक्षा कोषांग / सभी जिलापदाधिकारी / सभी वरीय / आरक्षी अधीक्षक)

8. भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा के जिला स्तर पर पदस्थापित पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में सड़क सुरक्षा के बिन्दु को भी शामिल करने हेतु क्रमशः सामान्य प्रशासन विभाग एवं गृह विभाग से अनुरोध करने का निर्णय लिया गया।

(अनुपालन– सामान्य प्रशासन विभाग / गृह विभाग / लीड एजेन्सी)

9. बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् में प्रावधानित समन्वय समितियों में एक सड़क निर्माण से जुड़े विभाग एवं एजेन्सियों के लिये पथ निर्माण विभाग के नेतृत्व में गठन किया जाना है। इस समन्वय समिति को अभियंताओं के प्रशिक्षण कैलेण्डर का निर्माण करने का निदेश दिया गया तथा उसे लीड एजेन्सी को भी संसूचित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– पथ निर्माण विभाग)

10. वर्ष, 2017 में चिन्हित Black Spots की कुल संख्या 124 है जिसमें,

(1) NHAI-94

(2) RCD-30

Black Spots के संबंध में किया गया सुधारात्मक कार्य निम्नवत् है–

(1) NHAI-58

(2) RCD-19

इसके अतिरिक्त अन्य लम्बी अवधि के सुधारात्मक कार्य चल रहे है। पथ निर्माण विभाग के नामित प्रतिनिधि को यह निदेश दिया गया कि चिन्हित एवं परिमार्जित Black Spots का वर्षवार विवरण एवं शेष Black Spots के परिमार्जन की अद्यतन स्थिति से भी लीड एजेन्सी को अवगत कराया जाय।

(अनुपालन– पथ निर्माण विभाग)

11. सभी सघन आबादी वाले क्षेत्रों में सड़क निर्माण के समय **"अन्डर पास"** एवं **"फुट ओवर ब्रीज"** का निर्माण करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।

(अनुपालन– पथ निर्माण विभाग / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण)

12. सड़क सुरक्षा के लिए Road Safety Audit शीघ्र कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।

(अनुपालन– पथ निर्माण विभाग)

13. अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा लीड एजेन्सी हेतु नामित सदस्य पुलिस अधीक्षक (डी0) के साथ विमर्श के क्रम में निम्न निर्णय लिये गए:–

(i) सड़क दुर्घटना डाटा के सटीक एवं वैज्ञानिकपूर्ण संधारण हेतु MoRTH द्वारा प्रेषित प्रपत्र के अनुरूप FIR अथवा अलग से एक Model प्रपत्र तैयार करने का निर्णय लिया गया जिसमें सड़क दुर्घटना से संबंधित जानकारी को अनुपूरक दस्तावेज के रूप में तैयार किया जा सके।

(अनुपालन– परिवहन विभाग/अपराध अनुसंधान विभाग)

(ii) यह निर्णय लिया गया कि जिला स्तर पर वरीय/पुलिस अधीक्षक द्वारा घटित सड़क दुर्घटनाओं का दुर्घटनावार समीक्षा एवं विश्लेषण किया जाय। इसमें स्वर्णिम घंटा (Golden Hour) में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होने तथा पीड़ित को अनुमान्य मुआवजा की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए समेकित प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी/जिला सड़क सुरक्षा समिति को माहवार उपलब्ध कराने के बिन्दु पर संबंधित को निर्देश निर्गत करने का निर्णय लिया गया।

(अनुपालन– अपराध अनुसंधान विभाग)

(iii) दुर्घटना डाटा के विश्लेषण के समय इन आँकड़ों का भी संधारण किया जाय कि जिले की जनसंख्या एवं वाहन के घनत्व के अनुरूप उसकी प्रतिशतता (Percentage) क्या है।

(अनुपालन– अपराध अनुसंधान विभाग)

(iv) Black Spots Protocol में विहित प्रावधानों के आलोक में अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा एक सप्ताह के भीतर अद्यतन Black Spots की सूची उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– अपराध अनुसंधान विभाग)

(v) सड़क दुर्घटनाओं के वैज्ञानिक विश्लेषण के लिये Videographs & Video Clipping एक महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रत्येक दुर्घटना का अधिकतम दो फोटो एवं एक वीडियों क्लीप को बाह्य श्रोतों से भुगतान के आधार पर भी प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। प्रति फोटो 200/–(दो सौ) रूपये एवं प्रति

Video Clipping 300/–(तीन सौ) रूपये भुगतान करने का भी निर्णय लिया गया। इस राशि का भुगतान जिला सड़क सुरक्षा कमेटी को उपलब्ध करायी गयी निधि से की जायगी। सड़क दुर्घटना से संबंधित फोटो या वीडियो क्लीप का चयन जिला सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य सचिव द्वारा किया जायगा।

(अनुपालन– जिला सड़क सुरक्षा समिति)

14. स्वास्थ्य विभाग के उपस्थित प्रतिनिधि के साथ विमर्श के क्रम में निदेश दिया गया कि सभी सदर अस्पतालों एवं चिकित्सा महाविद्यालयों में Trauma Care Centre तथा सभी राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) एवं राज्य उच्च पथों (SH) के निकट अवस्थित अस्पतालों में भी सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ित व्यक्तियों के त्वरित उपचार हेतु Trauma Care Centre स्थापित करने हेतु अनुरोध करने का निर्णय लिया गया।

(अनुपालन– स्वास्थ्य विभाग)

15. (i) शिक्षा विभाग के उपस्थित प्रतिनिधि को निदेश दिया गया कि अगली बैठक में किसी कनीय पदाधिकारी को नहीं भेजने संबंधी सूचना अपने विभागाध्यक्ष को संसूचित कर दी जाय।

(ii) कक्षा IX एवं कक्षा X के पाठ्य क्रमों में सड़क सुरक्षा विषय को शामिल करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन– शिक्षा विभाग)

16. सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने हेतु सड़क सुरक्षा पर गठित माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी के निदेशानुसार प्रखण्ड स्तर तक जागरूकता अभियान चलाया जाना है। इसके लिए साक्षरता समूह की सेवा लेने का निर्णय लिया गया एवं इस कार्यक्रम पर होनेवाले व्यय की प्रतिपूर्ति जिला सड़क सुरक्षा समिति को उपलब्ध राशि से कराये जाने का निर्णय लिया गया।

(अनुपालन– शिक्षा विभाग)

17. सड़क सुरक्षा पर गठित सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी के द्वारा पत्रांक–28/CoRS/2014 (Vol–6) दिनांक–18.07.2018 एवं पत्रांक–30/CoRS/2014 (Vol–4) दिनांक–20.07.2018 द्वारा दिए गए निदेश के अनुपालन का अद्यतन प्रतिवेदन सभी पणधारी विभागों को लीड एजेन्सी को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– सभी पणधारी विभाग)

18. सड़क सुरक्षा पर दिनांक–25.04.2018 को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय कमेटी के द्वारा की गई अनुशंसाओं का अद्यतन अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश सभी पणधारी विभागों को दिया गया।

(अनुपालन– सभी पणधारी विभाग)

दिनांक 17.08.2018 को लीड एजेन्सी की अगली बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

02.08.18

राज्य परिवहन आयुक्त–सह–सदस्य सचिव,
कार्यपालक समिति, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना।

ज्ञापांक–स0सु0/लीड एजेन्सी (बैठक)–20/2018-5094/परि0, पटना, दिनांक–4.8.18

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन, बिहार, पटना/अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी जिलापदाधिकारी/सभी वरीय/पुलिस अधीक्षक, बिहार/क्षेत्रीय पदाधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिहार, पटना/श्री धनंजय कुमार बम्पट, अधीक्षण अभियंता (याँ0)–सह–सदस्य, लीड एजेन्सी (बि0रा0स0सु0परि0), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/पुलिस अधीक्षक (डी0), अपराध अनुसंधान विभाग–सह–सदस्य, लीड एजेन्सी (बि0रा0स0सु0परि0), बिहार, पटना/श्री अशोक कुमार दुबे, कार्यपालक अभियंता–सह–सदस्य, लीड एजेन्सी (बि0रा0स0सु0परि0), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री अशोक कुमार, अधीक्षण अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/श्री रविन्द्र कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/IT Manager, परिवहन विभाग (मु0), बिहार, पटना/PWC, परिवहन विभाग (मु0), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02.08.18

राज्य परिवहन आयुक्त–सह–सदस्य सचिव,
कार्यपालक समिति, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना।

ज्ञापांक– स0सु0/लीड एजेन्सी (बैठक)–20/2018,5094/परि0, पटना,दिनांक– 4/8/18

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/विकास आयुक्त–सह–सदस्य–सह–कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त–सह–सदस्य सचिव के आप्त सचिव/अपर सचिव, परिवहन विभाग/उप सचिव, परिवहन विभाग/विशेष कार्य पदाधिकारी, परिवहन विभाग/अवर सचिव, परिवहन विभाग एवं सभी प्रशाखा पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2/02.08.18

राज्य परिवहन आयुक्त–सह–सदस्य सचिव,
कार्यपालक समिति, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना।

ज्ञापांक– स0सु0/लीड एजेन्सी (बैठक)–20/2018,5094/परि0, पटना,दिनांक– 4/8/18

प्रतिलिपि–श्री एस0 डी0 बंगा, सचिव, सड़क सुरक्षा पर गठित सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी, कमरा सं0–249, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली Email: roadsafetysc@gmail.com को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2/02.08.18

राज्य परिवहन आयुक्त–सह–सदस्य सचिव,
कार्यपालक समिति, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना।